वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 244/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-08.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 08.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- जीयनपुरः महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 06.03.2025 को वादिनी मुकदमा महरूपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी के पति मुम्बई में काम करते है, विपक्षी सन्तोष चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी महरूपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष द्वारा आये दिन वादिनी को खेत में अकेला पाकर यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया गया, मना करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/2025 धारा 74/115(2)/352/351(2)BNS बनाम सन्तोष चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी महरूपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2.रमाकान्त विपक्षी के भाई का साला नाम पता अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचनात्मक कार्यवाही उ0नि0 श्री रतन सिंह पटेल द्वारा सम्पादित की जा रही है।
विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा 74BNS को धारा 77BNS मे संसोधित किया गया। विवेचना के क्रम में।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 08.07.2025 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सन्तोष चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी महरूपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को महरुपुर पुलिया के पास बाग से समय 13.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01- सन्तोष चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान निवासी महरूपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 90/2025 धारा 74/115(2)/352/351(2)BNS धारा 64(1) की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा 74BNS को धारा 77BNS मे संसोधित किया गया।थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 90/2025 धारा 77/115(2)/352/351(2)/64(1)BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 रतन सिंह पटेल थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. का0 ज्ञानेन्द्र गुप्ता थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 सत्यप्रकाश सरोज थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02.थाना- कोतवाली: जबरन वसुली करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में 02 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी अमन सिंह पुत्र अवनीश कुमार सिंह निवासी मकान नं0-166 मोहल्ला आराजी बाग, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ बदरियाफ्त बता रहे हैं कि अरविन्द कुमार सिंह उर्फ बब्बू पुत्र स्व0 बलदेव सिंह निवासी ग्राम विजौरा, थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ स्वयं को प्रापर्टी डिलर बताते हुए रनवीर सिंह पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम हीरापट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के माध्यम से प्रार्थी के सम्पर्क में लगभग तीन वर्ष पूर्व आये तथा जाफरपुर स्थित जमीन दिखवाया गया जिसके कारण उनका प्रार्थी के घर उपरोक्त के सिलसिले में आना-जाना होने लगा। इसी बीच प्रार्थी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गयी तो अरविन्द सिंह से प्रार्थी द्वारा तीन दिन के लिए तीन लाख रूपये ले लिया गया। कुछ मजबूरी के चलते तीन दिन के अन्दर पैसे का भुगतान नहीं कर पाया तो उपरोक्त अरविन्द सिंह द्वारा 10,000 रू प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज माँगना शुरू कर दिया गया। प्रार्थी मजबूर होकर अपनी माँ संगीता सिंह से सारी बात बतायी तो उनके द्वारा अरविन्द सिंह के खाते में अपने खाते से पाँच लाख रूपया दिनांक 18.11.2023 को अदा कर दिया गया। कुछ दिनों बाद पुनः अरविन्द सिंह, रनविजय सिंह, निगम सिंह द्वारा प्रापर्टी डिलींग मे पैसा लगाने हेतु प्रार्थी को पुनः अपने विश्वास मे लिया गया। प्रार्थी उनकी बातों पर विश्वास कर प्रापर्टी डिलिंग मे साझेदारी में लेते हुए भिन्न-भिन्न तारीखों पर जरिये खाता व नकद कुल मिलाकर 22,05,800 रू0 उपरोक्त अरविन्द सिंह, रनवीर सिंह व उनके सहयोगी निगम सिंह तथा उनके परिजनों के के खाते में ले लिया गया। बीच-बीच मे कुछ पैसा उपरोक्त अरविन्द सिह द्वारा प्रार्थी को वापस भी किया गया। दिनांक 05.05.2024 को प्रार्थी के घर छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। जिसमें उपरोक्त रनवीर सिह व अरविन्द सिंह व रनवीर सिंह भी आये थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के घर रखा हुआ बैग गायब हो गया। जिसमें प्रार्थी का हस्ताक्षर किया हुआ चेकबुक, आधार कार्ड व एटीएम रखा हुआ था। उक्त बैग गायब होने के पश्चात रनवीर सिंह अरविन्द सिंह निगम सिंह प्रार्थी द्वारा दिये गये पैसे को वापस न करने की नियत से साजिश करके प्रार्थी को अपने 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर शहर मे स्थित अठवरिया मैदान में बुलाकर जान से मारने का भय दिखाकर अपहृत कर एक कमरे में बन्द कर प्रार्थी को भय में डालकर जबरदस्ती और धनउगाही करने की नियत से उपरोक्त गायब हुये बैग में रखे चेकबुक साइन किये हुए चेक सं0- 95072 पर 4,00000 रु भरवाकर प्रार्थी का जबरदस्ती वीडियो बना लिये तथा धमकी दिये कि यदि किसी से कहोगे और थाने पर जाओगे तो तुम्हे जान से मार दिया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 37/25 धारा 34,342,386 भादवि दिनांक 26.1.2025 को पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह उर्फ बब्बू सिंह पुत्र स्व0 बलदेव सिंह निवासी ग्राम बिजौरा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष व - सविता सिंह पत्नी अरविन्द सिंह उर्फ बब्बू सिंह निवासी हाल पता जयप्रकाश श्रीवास्तव का किराये का मकान ग्राम अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ स्थायी पता – ग्राम बिजौरा थाना कंधरापुर , ग्राम लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 08.07.25 को नि0अ0 रफी आलम, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता प्रियंका सिंह पत्नी रनबीर सिंह नि0 राजाजी कालोनी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष (प्रकाश में) मूल निवासी ग्राम पुरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, को समय 11.25 बजे राजाजी कालोनी हीरापट्टी से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- प्रियंका सिंह पत्नी रनबीर सिंह नि0 राजाजी कालोनी हीरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष (प्रकाश में) मूल निवासी ग्राम पुरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 37/25 धारा 34,342,386 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-नि0अ0 रफी आलम, म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, म0हो0गा0 ममता सिंह ,का0 अप्पू कुमार वर्मा , का0 प्रेम चन्द्र कन्नौजिया थाना कोतवाली आजमगढ़

03.थाना –मेंहनाजपुरः शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.06.2025 को वादी मुकदमा थाना मेहनाजपुर, जिला आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि वादी की पोती उम्र 17 वर्ष को विपक्षी राणा प्रताप पुत्र रामधनी के घर शौरभ पुत्र महगू प्रसाद सा रेहारी, थाना चन्दवक जिला जौनपुर द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 71/2025 धारा धारा 69,351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट वादी मुकदमा दीपचन्द पुत्र बलिराम सा0 नथमलपुर उर्फ विसम्भरपुर, थाना मेहनाजपुर, जिला आजमगढ़ बनाम 1 .सौरभ कुमार पुत्र महंगू प्रसाद निवासी ग्राम रेहारी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2. राणा प्रताप पुत्र रामधनी निवासी ग्राम नथमलपुर उर्फ विसम्भरपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 दिपक कुमार के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 08.07.2025 को उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र महंगू प्रसाद निवासी ग्राम रेहारी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर गनीपुर-तिलखरा तिराहे से समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु0अ0सं0- 71/25 धारा 69,351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1- सौरभ कुमार पुत्र महंगू प्रसाद निवासी ग्राम रेहारी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 दिपक कुमार थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़
2. का0 आनन्द मौर्या थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 08.07.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिं सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्तगण को मा न्यायालय द्वारा नकली जर्दा बनाने की फैक्टरी बनाकर आपायकर खाद्य पदार्थ (नकली जर्दा) बनाने व 3/4 कापी राईट एक्ट के उलंघन करने के आरोप में दोषी करार देते हुए **को 07 वर्ष कठो कारवास व 1,40,000 रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना मेंहनगरः आपायकर खाद्य पदार्थ (नकली जर्दा) बनाने व 3/4 कापी राईट एक्ट के उलंघन करने के 01 आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष कठोर कारवास व 1,40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित।

➡ दिनांक- 06.08.2007 को वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष शशिभूषण राय थाने पर लिखि तहरीर दी कि दिनांक- 06.08.2007 को समय करीब 19.45 बजे अभियुक्तः शशिभूषण चौहान पु उमाशंकर चौहान निवासी ग्राम सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा नकली जर्दा के बनाने की फैक्टरी बनाकर आपायकर खाद्य पदार्थ (नकली जर्दा) बनाने व 3/4 कापी राईट एक्ट के उलंघन करते हुए रंगे हाथे पकड़े गये।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 585/2007 धारा-419,420,481,482,486 ,272,273 भादवि व 60/63 आब0 अधि0 व 3/4 कापी राईट एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 14 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 08.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-2 को आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. शशिभूषण चौहान पुत्र उमाशंकर चौहा निवासीगण ग्राम सेर्रा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए को 07 वर्ष कठो कारवास व 1,40,000 रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।